निग /3855-PBR-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल म.प्र.।

रिविजन प्र.क्र. :-

प्रस्तुत दिनांक :- 26-11-2015

ग्राम मकोड़िया प.ह.नं. 42/72 तह0 सिवनी-मालवा, जिला होशंगाबाद म.प्र.।

श्री के.के. पदुवंशी एड. द्वारा दि. 26.11.15 को प्रस्तुत हुई।

(1) विलियम प्रसाद पिता सक्काप्रसाद,

(2) भासकर प्रसाद पिता सक्काप्रसाद,

(3) नीलेश पिता भासरम प्रसाद,

(4) नेलसन पिता विलियम प्रसाद,

(5) विलसन पिता विलियमप्रसाद,

(6) जानसन पिता विलियम प्रसाद,

सभी निवासी ग्राम मकोड़िया, तह0 सिवनी-मालवा, जिला होशंगाबाद म.प्र.

---------------- पुनरिक्षण कर्ता

विरूद्ध

(1) संतोष मसीह पिता आनंद मसीह, नि. ग्राम मकोड़िया, तह0 सिवनी-मालवा जिला होशंगाबाद म.प्र.।

(2) शशी पिता आनंद मसीह स्टाफ नर्स, नि. मकोड़िया हाल मुकाम जिला चिकित्सालय, नरसिंगपुर, तह0व जिला नरसिंगपुर म.प्र.

(3) लताबाई उर्फ स्नेहलता पिता आनंद मसीह, नि. ग्राम मकोड़िया हाल मुकाम-जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद, तह0व जिला होशंगाबाद म.प्र.

---------------- उत्तरवादीगण।

28/12/15

के.के. पदुवंशी एड.

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. पुनरीक्षण याचना

पुनरिक्षण कर्त्ता निम्न निवेदन करते है कि :-

(1) यह कि, पुनरिक्षणकर्त्तागण निम्न न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/बी/121 वर्ष 2008 ग्राम मकोड़िया प.ह.नं. 42/72 में पारित आदेश दिनांक 20-11-15 से परिवेदित होकर यह याचना प्रस्तुत करते है कि :

पुनरिक्षण के तथ्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3855–पीबीआर/2015 **जिला होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.02.17	आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–2015 की सत्यप्रतिलिपि का व अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–5–2010 सभी न्यायालयों द्वारा विधिनुकूल एवं संवैधानिक रूप से मान्य किया गया है इसलिये आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय को उक्त आदेश के पालन के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	